न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
19/2018	2018/00085	29.06.2018	26.03.2021

श्री कन्हैयालाल पिता अमृतराम जाति गुर्जर निवासी बरवाडा गुर्जर तहसील छोटीसादडी

:– अपीलान्ट

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :–
1. श्री धरम चन्द्र नागौरी अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री पैरोकार सरकार

–: आदेश :– दिनांक 26.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 14.06.2018 द्वारा तहसीलदार छोटीसादडी के संबंध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बरवाडा गुर्जर पटवार हल्का सेमरथी तहसील छोटीसादडी में स्थित अपीलार्थी की निजी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 499 रकबा 0.11 है. के पास लगी राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 502 रकबा 0.05 है. भूमि पर अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त होकर उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग अपीलार्थी द्वारा अपने कृषि कार्यों कृषि उपकरण रखने, मवेशियों को बांधने खाद्य रोडी किया जा रहा था।

किन्तु कुछ ग्राम वासियान द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत करने के चलते तहसीलदार छोटीसादडी विरूद्ध शिकायत करने के चलते तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कठोरता का रूख अपनाते हुए द्वारा तहसीलदार छोटीसादडी के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31.05.2018 के कम में एवं भू.अ.नि. वृत कारूण्डा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 04.06.2018 के कम में अपीलार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 05.06.2018 को जारी करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 14.06.2018 को न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी के समक्ष उपस्थित होने का जारी किया गया जिसकी बाद तामिल रिपोर्ट अपीलार्थी के न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होने पर बिना किसी युक्ति–युक्त सुनवाई जवाब प्रस्तुती या विधिक प्रतिनिधी उपस्थित करने का अवसर दिए बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय एवं साम्यता के सिद्धान्त के विपरीत जरिये प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 14.06.2018 को बेदखली का आदेश दिया गया। जबकि अपीलार्थी के कब्जे की राजकीय भूमि रकबा

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

राजकीय बिलानाम बंजड भूमि होकर अपीलार्थी आवंटन नियमन का पात्र था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 14.06.2018 को निरस्त फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार राजस्व श्री प्रवीण जैन उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई दौराने बहस वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों को गम्भीरता से दौहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से लगी होकर 0.05 है. स्ट्रीप ऑफ लैण्ड राजकीय रकबा है जिसे कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 19 के तहत अपीलार्थी आवंटन नियमन का पात्र है तथा धारा 98 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त भूमि रकबा विविध कृषि कार्यों कृषि उपकरण रखने मवेशियों को बांधने, घास फुस एकत्र करने गोबर खाद्य स्थल बनाने के लिए दी जा सकती है। जबकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कठोरता का रूख अपनाते हुए सीधे बेदखली का आदेश दिनांक 14.06.2018 को जारी किया जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकृत फरमावें।

इसी प्रकम में दौराने बहस उपस्थित पैरोकार सरकार अधिवक्ता री प्रवीण जैन द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त निर्णित पत्रावली प्रकरण संख्या 04/2018 में संलग्न रिकार्ड दस्तावेजों के हवाले से बताया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त राजकीय भूमि रकबा को हथियाने की नियत से जबरन मौके पर जेसीबी चलाकर कब्जा स्थापित कर रहा था तथा उक्त भूमि एवं पास की देव भूमि पर अवैध मकान बाडा बनाने की नियत से कार्य कर रहा था जिस अन्तर्गत मौके पर स्थित धार्मिक पथवारियों को भी क्षतविक्षत किया गया है जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के समक्ष ग्राम वासियान द्वारा प्रस्तुत शिकायत आधार पर त्वरित कार्यवाही अमल में लाया जाना वांछित था जिसके कम में पटवार हल्का सेमरथली एवं भू.अ.नि. वृत कारूण्डा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा रिपोर्ट एवं जांच प्रतिवेदन दिनांक 31.05.2018 तथा 04.06.2018 के अनुसार अपीलार्थी के उक्त भूमि पर अवैधानिक अतिक्रमण करने की नियत स्पष्ट होती है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा अपीलार्थी को युक्ति–युक्त सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु धारा 91 के तहत जरिये प्रकरण संख्या 04/2018 दिनांक 05.06.2018 को सूचना पत्र जारी करते हुए दिनांक 14.06.2018 को सुनवाई तिथी से अवगत कराया था जिसकी बाद तामिल रिपोर्ट अपीलार्थी दिनांक 14.06.218 के सरे ईजलास उपस्थित भी हुआ किन्तु उसके द्वारा कोई युक्ति–युक्त जवाब प्रतिवेदन रिकार्ड पत्रावली पर नहीं रखा गया अर्थात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय एवं साम्यता के सिद्धान्त की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मौका परिस्थिति अनुसार त्वरित कार्यवाही हेतु निर्णय दिनांक 14.06.2018 को पारीत किया गया जो पूर्ण रूप से उचित रहा है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहन अवलोकन अध्ययन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 22.06.2018, नकल निर्णय प्रकरण संख्या 04/2018 निर्णय दिनांक 14.06.2018 एवं शिकायत पत्र दिनांक 30.05.2018, मौका पटवार हल्का सेमरथली दिनांक 31.05.2018 एवं जांच प्रतिवेदन भू.अ.नि वृत कारूण्डा दिनांक 04.06.2016, नकल नोटिस दिनांक 05.06.2018 एवं तामील कुनीन्दा रिपोर्ट इत्यादि के साथ–साथ राजस्व रिकार्ड मौका स्थिति संज्ञान हेतु व्दसपदम रिकार्ड जरिये DILRM (भू–नक्शा, अपना खाता, धरा ऐप) के माध्यम से प्रकरण

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

में विवादित भूमि आराजी संख्या 502 के साथ–साथ अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 499 एवं आस–पास की भूमि आराजी संख्या 500, 501, 503 का भी अवलोकन प्रकरण में प्रचलित विधियों के साथ किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 499 रकबा 0.11 है. के पश्चात दक्षिण दिशा में आराजी संख्या 503 विविध काश्तकारों की निजी खातेदारी भूमि है तथा पश्चिम दिशा में आराजी संख्या 500 अपीलार्थी के समानान्तर उत्तर –दक्षिण तक निजी खातेदारी भूमि है तथा उसके पश्चात आराजी संख्या 501 रकबा 0.09 है. देवरा भूमि है तथा दक्षिण–पश्चिम में विवादित अतिकमित भूमि आराजी संख्या 502 रकबा 0.05 स्थित है जिससे साबित होता है कि विवादित भूमि आराजी संख्या 502 अपीलार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 499 की चतुर्थ सीमाओं के किसी भी भाग से लगी हुई नहीं है जिससे अपीलार्थी का कथन गलत साबित होता है।

साथ ही रिपोर्ट पटवार हल्का सेमरथली दिनांक 31.05.2018 एवं भू.अ.नि. वृत दिनांक 04.06.2018 में वर्णित अनुसार कथनों अनुसार अपीलार्थी विवादित आराजी संख्या 502 रकबा 0.05 है. तथा देवरा भूमि आराजी संख्या 501 रकबा 0.09 है. में से 0.01 है. अर्थात् कुल किता 2 रकबा 0.06 है. भूमि पर अवैध अतिकमण करने का दोषी पाया जाना दर्शित रिकार्ड है। साथ ही अपीलार्थी के कथन की उसे सुनवाई एवं जवाब का अवसर नहीं दिया गया यह कथन की अपीलार्थी को जारी नोटिस धारा 91 दिनांक 05.06.2018 तथा तामील रिपोर्ट एवं निर्णय दिनांक आदेशिका 14.06.2018 पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर होना साबित करते है कि अपीलार्थी को समुचित अवसर प्राकृतिक न्याय एवं साम्यता के सिद्धान्त पर उपलब्ध कराएं गऐ थे। प्रकरण में दर्शित विवाद्यकों एवं जांच रिपोर्ट भू.अ.नि. तथा पर्चा मौका अनुसार अतिकमी अपीलार्थी त्वरित बेदखली का पात्र रहा है जिसके चलते तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 04/2018 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित निर्णय दिनांक 14.06.2018 किसी प्रकार से त्रुटीपूर्ण नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छोटीसादडी द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 04/18 निर्णय दिनांक 14.06.2018 को यथावत् बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को सरे ईजलास सुनाया जाकर लिपिबद्ध किया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner